



कार्यालय आदेश सं. 88 /2019

श्री सी.पी.एस. चौहान, सं. विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़, के कार्यभार ग्रहण किए जाने के फलस्वरूप, विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत केंजसूअ, सीपज़-सेज़ के आदेशों के विरुद्ध फाइल किए जाने वाली अपील संबंधी मामलों को निश्चित करने हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

२१५

(राजू कुमार)

सहा. विकास आयुक्त / प्रशा.

सं. सीपज़-सेज़/प्रशा./सूकाअ-अपील/217/2012-13/वॉल्यू-XIII/19229

दिनांक 01/10/2019

प्रति,

1. विआका/संविआका
2. संबंधित अधिकारी
3. सभी अनुभाग
4. कार्यालय आदेश फाइल/कार्यालय आदेश रजिस्टर
5. सूचना पटल
6. आयटी अनुभाग.... इस निदेश के साथ की वे इसे कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

जानकारी हेतु प्रतिलिपि:

श्री बिद्युत बेहारी स्वेन, अतिरिक्त सचिव तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011.

२१५

(राजू कुमार)

सहा. विकास आयुक्त / प्रशा.